

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
राँची।

राँची, दिनांक: 06-10-2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत गिरिडीह जिलान्तर्गत बिरनी प्रखण्ड के बलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 1,94,81,755/- (एक करोड़ चौरानबे लाख एकासी हजार सात सौ पचपन) रुपये मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-25(5)ब योजना दिनांक-30.09.2024 एवं कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक-2506(नि) दिनांक-27.08.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत गिरिडीह जिलान्तर्गत बिरनी प्रखण्ड के बलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की योजना हेतु अधोलिखित तालिका के अनुरूप कुल 1,94,81,755/- (एक करोड़ चौरानबे लाख एकासी हजार सात सौ पचपन) रुपए मात्र की राशि आवंटित की जाती है:-

(राशि रुपये में)

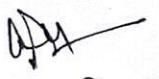
क्र०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश पत्रांक एवं तिथि	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	एकरारनामा की राशि + निगम का संचालन अनुदान	अबतक आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया, गिरिडीह	25(5)ब योजना 30.09.2024	6,00,46,000	4,87,02,755	2,92,21,000	1,94,81,755	4,87,02,755

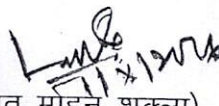
2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तें यथावत् रहेंगी। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना का क्रियान्वयन स्वीकृत्यादेश में अंकित सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

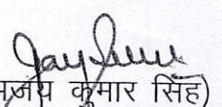
3. व्यय का विकलन राज्य योजनान्तर्गत बजट शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-48-जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण-01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210-01-110-48-01-05-45) के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

4. इस योजना हेतु आवंटित किए जाने वाले राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल, राँची होंगे, जो राशि का एकमुश्त हस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता-मुख्यशीर्ष-8448-स्थानीय निधि जमा-120-अन्य निधियाँ में करेंगे।

5. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।


(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

6. राशि की निकासी राँची कोषागार, राँची से होगी।

7. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक-2561 वि०, दिनांक-17.04.98 एवं 1800(वि), दिनांक-15.07.2003 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य आदेश के आलोक में होगा।

8. राशि निकासी के पूर्व विपत्र/चेक पर आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा एवं यह प्रमाणित किया जाएगा कि प्रस्तुत विपत्र/चेक प्रशासनिक स्वीकृत राशि एवं आवंटित राशि के अन्तर्गत है। कार्यकारी एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षक अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो। राशि की निकासी पारित विपत्र के आधार पर की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जाएगी।

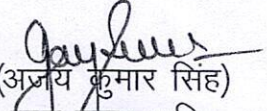
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

10. जिस शीर्ष के अन्तर्गत राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अन्तर्गत व्यय भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं योजना के कार्यकारी एजेंसी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अन्तर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के अभियन्ताओं का दायित्व होगा।

12. कार्य एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन,

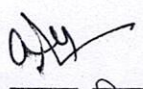

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: 36(5)ब.

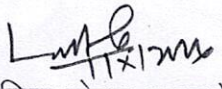
राँची, दिनांक: 06-10-2026

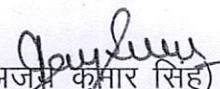
प्रतिलिपि:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
3. उपायुक्त, गिरिडीह।
4. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
5. सिविल सर्जन, गिरिडीह।
6. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
7. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

36(5)ब.
06-10-2026


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 5-P-(NS)-09/24/36(5)B

दिनांक - 07-Oct-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100111048010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल तथा औषधालय 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण 01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित 05 - निर्माण State Scheme State Scheme : Central Scheme :	72601	RNCMED013 AMRENDRA PRASAD C.S.CUM C.M.O.RANCHI	19,481,755.00 रुपये एक करोड चौरानवे लाख इक्क्यासी हजार सात सौ पचपन  45 - निर्माण कार्य
	STATE HEALTH INFRASTRUCTURE STRENGTHENING & UPGRADATION UPTO DISTRICT LEVEL(1691)			

योग: 19,481,755.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड चौरानवे लाख इक्क्यासी हजार सात सौ पचपन

(AJAY KUMAR SINGH)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 48 - जिला

स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S42100111048010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED013	Amrendra Prasad	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹1,94,81,755.00 (72601)	₹1,94,81,755.00

कुल आवंटित राशि :- ₹1,94,81,755.00 (एक करोड चौरानवे लाख इक्क्यासी हजार सात सौ पचपन) रुपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY